

दिल्ली विकास प्राधिकरण
(वित्त एवं व्यय)

सं. एफ. 7(20)2012-13/एम सी/एनएमएस/132

दिनांक: 21.07.2017

वित्त एवं व्यय परिपत्र सं. 12/2017

विषय :- दि.वि.प्रा. चिकित्सा स्कीम की समीक्षा- ओ.पी.डी. चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति की वार्षिक सीमा का विकल्प देने हेतु श्रेणी-III एवं IV के कर्मचारियों को विकल्प देना ।

श्रेणी-III एवं IV के कर्मचारियों द्वारा लगातार की जा रही मांग को ध्यान में रखते हुए, उपाध्यक्ष, दि.वि.प्रा., श्रेणी-III एवं IV के कर्मचारियों को मासिक चिकित्सा भत्ते के स्थान पर ओ.पी.डी. चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति की वार्षिक सीमा का विकल्प दोबारा देने के लिए एक अन्य अवसर प्रदान करते हैं । इस विकल्प का चयन 31.08.2017 तक किया जाएगा और यह 01.09.2017 से लागू होगा ।

श्रेणी-III एवं IV के वे सभी कर्मचारी जो इससे पहले इस विकल्प का चयन नहीं कर सके थे, वे अब इसका चयन कर सकते हैं । उन्हें इस पत्र के साथ संलग्न निर्धारित प्रोफार्मा में दिनांक 31.08.2017 तक अपने संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारी को विकल्प प्रस्तुत करना होगा ।

नई नियुक्ति वाले कर्मचारियों को पहले महीने का वेतन लेने से पूर्व अपना विकल्प प्रस्तुत करने की अनुमति होगी ।

संलग्नक: विकल्प प्रोफार्मा

(संतोष कुमार)
मुख्य लेखा अधिकारी

प्रतिलिपि प्रेषित:-

1. मुख्य लेखा अधिकारी के निजी सचिव ।
2. निदेशक (भूमि लागत निर्धारण) ।
3. निदेशक (कार्मिक)-I ।

4. निदेशक (आवास)-I ।
5. निदेशक (प्रशिक्षण) ।
6. निदेशक (उद्यान) दक्षिण पूर्व एवं उत्तर पश्चिम ।
7. निदेशक (नजारत) ।
8. निदेशक (भूमि) ।
9. निदेशक (भूमि प्रबंधन) (मुख्यालय) ।
10. वित्त सलाहकार (आवास) ।
11. सलाहकार (चिकित्सा) ।
12. उप मुख्य लेखा अधिकारी (चिकित्सा) ।
13. उप मुख्य लेखा अधिकारी (मुख्यालय) राजपत्रित/अराजपत्रित ।
14. सभी क्षेत्रीय उप मुख्य लेखा अधिकारी ।
15. उप मुख्य लेखा अधिकारी (खेल) (कृपया इसे सभी दि.वि.प्रा. खेल परिसरों में परिचालित करें) ।
16. वरिष्ठ लेखा अधिकारी (प्रारम्भिक अनुमान) ।
17. वेतन एवं लेखा अधिकारी (अभियान्त्रिकी) ।
18. वरिष्ठ लेखा अधिकारी (संस्थापना) आवास ।
19. वरिष्ठ लेखा अधिकारी (संस्थापना) अराजपत्रित-II, III एवं IV ।
20. वरिष्ठ लेखा अधिकारी (चिकित्सा)-II ।
21. लेखा अधिकारी (चिकित्सा)-I ।
22. सहायक लेखा अधिकारी (ओ.पी.डी.) काउंटर, विकास सदन ।
23. सहायक निदेशक (चिकित्सा) ।
24. नोटिस बोर्ड ।

लेखा अधिकारी (चिकित्सा)-I, दि.वि.प्रा.

विकल्प

वित्त एवं व्यय परिपत्र संख्या 12 दिनांक 21.07.2017 के सन्दर्भ में, मैं एतद्वारा विकल्प देता हूँ:

स्वयं और आश्रित (तों)/ पारिवारिक सदस्यों के उपचार हेतु निर्धारित सीमा तक ओ.पी.डी. उपचार पर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति की सुविधा का लाभ लेना ।

नाम _____

पदनाम _____

शाखा/डिवीजन _____

प्रमाण-पत्र

संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा ध्यान देना/ टिप्पणी :

1. उक्त विकल्प को पी.बी.आर. में नोट कर लिया गया है और निर्धारित चिकित्सा भत्ते को अगले वेतन बिलों में नहीं जोड़ा जाएगा ।
2. अप्रैल, 2017 से आज तक के वेतन बिलों में अनुमत निर्धारित चिकित्सा भत्ते की आवश्यक वसूली को अगले वेतन बिलो में से नहीं काटा जाएगा ।

आहरण एवं संवितरण अधिकारी/ दि.वि.प्रा.